



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092020-222101
CG-DL-E-29092020-222101

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3014]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2020/आश्विन 7, 1942

No. 3014]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2020/ASVINA 7, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

का.आ. 3377(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 56 के खण्ड (न) के साथ पठित धारा 31 के उपबंध 31 दिसम्बर, 2020 तक प्राथमिक सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 7/104/2020-बीओए-1]

अमित अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2020

S.O. 3377(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declare that the provisions of section 31 read with clause (t) of section 56 of the said Act shall not apply to primary co-operative banks till 31st December, 2020.

[F. No. 7/104/2020-BOA-I]

AMIT AGRAWAL, Jt. Secy.